पत्र संख्या– 1/प्रा0आ0–0–3–72/2018...72.../आ0प्र0

बिहार सरकार

आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

एम0 रामचन्द्रुडु
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,
पटना।

पटना–15, दिनांक– 8/1/19

विषयः– वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–01–पुनर्वास, लघुशीर्ष–200– अन्य राहत उपाय उपशीर्ष–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय विपत्र कोड–39–2235012000003 मद में कुल ₹5,04,000 (पाँच लाख चार हजार रुपये) आवंटन की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

2. इस का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय शीर्ष 2235–सामाजिक सुरक्षा और कल्याण, उपमुख्य शीर्ष–01–पुनर्वास, लघुशीर्ष–200– अन्य राहत उपाय उपशीर्ष–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय मद में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

आवंटित/पूर्व आवंटित राशि का विवरणी लघुशीर्ष/उपशीर्षवार निम्न प्रकार है:–

लघुशीर्ष–200–अन्य राहत उपाय।
उपशीर्ष–0003–शीतलहर से बचाव हेतु उपाय।
माँग संख्या–39 यूनिट कोड 35–01– नगद/वस्तु।

(राशि रूपये में)

क्र0	**जिला का नाम**	**पूर्व आवंटित राशि**	**वर्त्तमान आवंटित राशि**	**योग**
1	पटना	2,00,000 (दो लाख)	5,04,000 (पाँच लाख चार हजार)	7,04,000 (सात लाख चार हजार)

यह आवंटन जिला पदाधिकारी, पटना के पत्रांक 1581 दिनांक 06.12.18 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। आवंटित राशि से वित्तीय वर्ष 2017–18 में व्यय की गई राशि का समायोजन किया जाय।

3 आवंटित राशि का व्यय उसी मद के अन्तर्गत किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नही किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

4. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव Fully Vouched Bill के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धरित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2019 तक अवश्य भेज दिया जाय।

5. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष/ लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़े के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

6. यह आवंटन आदेश वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 [वि0 (2)] दिनांक–17.4.98 के

आलोक में निर्गत किया जा रहा है। राशि की निकासी एवं व्यय में वित्त विभाग के निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय।

7. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक– 15.03.2019 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

8. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त विभाग (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

9. इस आवंटन आदेश की प्राप्ति के पश्चात् पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ" यह सम्पुष्टि उल्लिखित करते हुए तुरन्त रिर्टन फैक्स से सूचना विभाग को भेज दी जाय।

10 मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(ह०) 03/01/19
अपर सचिव

ज्ञापांक– 72 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 3/1/19

प्रतिलिपिः महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 03/01/19
अपर सचिव

ज्ञापांक– 72 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 3/1/19

प्रतिलिपिः जिला कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचना तथा आवश्यक कर्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 03/01/19
अपर सचिव

ज्ञापांक– 72 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 3/1/19

प्रतिलिपिः प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 03/01/19
अपर सचिव

ज्ञापांक – 72 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 3/1/19

प्रतिलिपिः माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(ह०) 03/01/19
अपर सचिव

ज्ञापांक– 72 /आ0प्र0, पटना–15, दिनांक– 3/1/19

प्रतिलिपिः विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/ सांख्यिकी पदाधिकारी/ प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(ह०) 03/01/19
अपर सचिव